

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/गूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल छिड़नी केवल आवासीय उपयोग

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 131 दिनांक 19/06/2019

प्राथमिकी श्रीमती शशिल दाम W/O श्री अरुण दाम
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No 79 इन्डिया कोलोनरी राजगड
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राजि रुपये 8900/- (ग)
जरिये रसीद संख्या 1038/2342, 2343
दिनांक 19/06/2019 को जमा करा दी है।

~~प्रतिपत्कार
नगर निगम, जोधपुर~~

19/6
शशिल दाम
नगर निगम, जोधपुर

शशिल दाम

9783342657

श्रीमती

आवासीय